

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-1( )प्रशा0/सेवानिवृत्ति-2018/आरवीआरईएस/आकाशि/2020/6469

दिनांक :-16-01-2020

संशोधित आदेश

आयुक्तालय के आदेश संख्या एफ-26(ए/18)स्था/निकॉशि/2012/935-039 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण सेवा योजना के तहत राज्य सेवा में समायोजित निम्नलिखित शैक्षणिक कार्मिकों के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे । इस आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

(वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले (RVRES) शैक्षणिक कार्मिकों की सूची)


क्र0सं0	कर्मचारी का नाम, पद एवं कार्यरत स्थान	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तिथि	सेवानिवृत्त होने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	राजकुमार गोयल, व्याख्याता, एबीएसटी, राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	17.01.1958	17.01.2018	31.01.2018
2.	राजेश कुमार चौधरी, व्याख्याता, हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	15.01.1958	15.01.2018	31.01.2018
3.	रेखा रस्तौगी, व्याख्याता, बनस्पतिशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, दौसा	01.02.1958	31.01.2018	31.01.2018
4.	रेणु चतुर्वेदी, व्याख्याता, चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	01.02.1958	31.01.2018	31.01.2018
5.	उमा अग्रवाल, व्याख्याता, संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय, डीग	28.03.1958	28.03.2018	31.03.2018
6.	मंजु शर्मा, व्याख्याता, प्राणीशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय, खैरवाड़ा	29.03.1958	29.03.2018	31.03.2018
7.	शकूर खान, व्याख्याता, गणित, राजकीय महाविद्यालय, तारानगर, जिला चूरु	05.03.1958	05.03.2018	31.03.2018
8.	जयश्री शर्मा, व्याख्याता, हिन्दी, राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, जिला जयपुर	01.04.1958	31.03.2018	31.03.2018
9.	भरत टांक, व्याख्याता, अर्थशास्त्र (बीएड) राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	09.04.1958	09.04.2018	30.04.2018
10.	नरेन्द्र सिंह राठौड़, व्याख्याता, अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, नोखा	30.05.1958	30.5.2018	31.05.2018
11.	गिरधारी लाल, व्याख्याता, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना	10.05.1958	10.05.2018	31.05.2018
12.	के0 गिरिधर गोपाल, व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी	01.06.1958	31.05.2018	31.05.2018
13.	सज्जन कुमार अग्रवाल, व्याख्याता, ईएफएम, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	15.06.1958	15.6.2018	30.06.2018
14.	देवेन्द्र कौर, व्याख्याता, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज	30.06.1958	30.06.2018	30.06.2018
15.	गोपाल सिंह शेखावत, व्याख्याता, जीव विज्ञान, (बीएड), राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	02.06.1958	02.06.2018	30.06.2018
16.	विजयलक्ष्मी, व्याख्याता, राजनीतिशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा	01.07.1958	30.06.2018	30.06.2018
17.	नीलम खन्ना, व्याख्याता, अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय, होद	06.07.1958	06.07.2018	31.07.2018
18.	कमलेश पारीक, व्याख्याता, संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा	20.07.1958	20.07.2018	31.07.2018
19.	जैमिनी राठौड़, व्याख्याता, एबीएसटी, राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली	06.08.1958	06.8.2018	31.08.2018
20.	अनार सिंह, व्याख्याता, वाणिज्य (बीएड) राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़	12.08.1958	12.08.2018	31.08.2018
21.	प्रकाश चन्द जैन, व्याख्याता, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	15.09.1958	15.09.2018	30.09.2018

22.	मीना शर्मा, व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	02.09.1958	02.09.2018	30.09.2018
23.	बाबू लाल अग्रवाल, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, निवाई	15.11.1958	15.11.2018	30.11.2018
24.	अनिता माथुर, व्याख्याता, बनस्पतिशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया	19.11.1958	19.11.2018	30.11.2018
25.	नरेश कुमार शर्मा, व्याख्याता, एबीएसटी, राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई	22.11.1958	22.11.2018	30.11.2018
26.	अरुण कुमार चतुर्वेदी, व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	22.12.1958	22.12.2018	31.12.2018
27.	तनुजा वैद्य, व्याख्याता, बनस्पतिशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली	30.12.1958	30.12.2018	31.12.2018
28.	चन्द्रसिंह भाटी, पीटीआई, राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़	01.01.1959	31.12.2018	31.12.2018
29.	रविन्द्र कुमार उपाध्याय, व्याख्याता, ईएफएम, राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना	01.01.1959	31.12.2018	31.12.2018
30.	विद्यानन्द सिंह, व्याख्याता, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	01.01.1959	31.12.2018	31.12.2018
31.	जमना लाल टेलर, व्याख्याता, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा	01.01.1959	31.12.2018	31.12.2018

**उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध :-**

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं ।


यह आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये गये किसी भी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं कार्मिक के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी किये जाते हैं ।

  
(प्रदीप कुमार बोरड़) IAS  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

क्रमांक:-एफ-1( )प्रशा0/सेवानिवृत्ति-2018/आरवीआरईएस/आकाशि/2020/6409  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :-16-01-2020

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (एचआरडी/निजी संस्थाएं/अकादमिक/योजना एवं समन्वय/रूसा/आरवीआरईएस/छात्रवृत्ति) कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।
5. सम्बन्धित प्राचार्यगण ।
6. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, राजकीय महाविद्यालय ।
7. आरवीआरईएस/स्थापना शाखा, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
8. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
9. रक्षित पत्रावली ।

  
16.1.2020  
(डॉ० के०एल० सिराधना)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)